कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्याः–769/प्र0अ0/कार्मिक–1/ई–5/स्था0–2021, दिनांकः 19 अप्रैल, 2021

विषयः–स्थानान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत रिक्त पदों एवं उसके सापेक्ष अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु अभियन्ताओं की सूची ।

मुख्य अभियन्ता स्तर–1, परिकल्प एवं निदेशक सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की।
मुख्य अभियन्ता स्तर–2(यांत्रिक) सिंचाई विभाग, देहरादून।
मुख्य अभियन्ता स्तर–2 सिंचाई विभाग/देहरादून/ हल्द्वानी /हरिद्वार /रूड़की /श्रीनगर / अल्मोड़ा।
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, देहरादून।

कृपया उपराक्त विषयक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्रस्तर–7 एवं 12 के अधीन निम्नलिखित पदों के रिक्त पदों एवं सुगम से दुर्गम तथा दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित कार्मिकों की सूची उत्तराखण्ड की वैबसाइट (uttrakhandirrigation. com) पर अपलोड की जा चुकी है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)
2. अधीक्षण अभियन्ता (सिविल/यांत्रिक)
3. अधिशासी अभियन्ता (सिविल/यांत्रिक)
4. सहायक अभियन्ता (सिविल/यांत्रिक)
5. उपराजस्व अधिकारी

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने के निदेश हुआ है कि वैबसाइट पर अपलोड की गयी सूची के कम में कृपया अपने अधीनस्त कार्मिकों को तत्काल अवगत करा दे ताकि अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत रिक्त पदों के सापेक्ष 10 इच्छित स्थलों का विकल्प सीधे इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करें ताकि स्थानान्तरण अधिनियम में उल्लिखित समय सारणी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सके। बैबसाइट पर सूची प्रदर्शित होने के पश्चात ही स्थानान्तरण हेतु पात्र अधिकारियों द्वारा प्रेषित आवेदनो पर ही विचार किया जायेगा पूर्व में प्रेषित प्रत्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा रिक्त पदों की जो सूची निर्गत की गयी है मात्र उन स्थलों में रिक्त पदों के सापेक्ष ही इच्छित स्थान देना सुनिश्चित करेंगे, इससे इतर पदों पर विचार नही किया जायेगा।

(संजीव जैन)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–1)
कृते प्रमुख अभियन्ता

19.04.21

D:\New data-2\GENRAL LETTER\E-5 GEN\E-5-(4).docx